

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (B-86) अलेसे-I/ 4751

दिनांक:- 25-09-13

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय एवं यातायात,
जोधपुर।

विषय:- श्री भरत लाल कछवाहा, लेखाधिकारी के अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में।

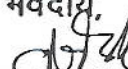
प्रसंग:- आपका पत्रांक अ-12 () पु.आ./जोध-फोर्स/12/879 दिनांक 11.09.12

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में श्री भरत लाल कछवाहा, लेखाधिकारी को निम्नांकित अवकाश स्वीकृत करते हुए राजकीय अवकाशों का उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. दि. 05.05.12 व 06.05.12 | 02 दिन राजपत्रित अवकाश |
| 2. दि. 07.05.12 से 13.05.12 | 07 दिन उपार्जित अवकाश |
| 3. दि. 14.05.12 से 24.06.12 | 42 दिन काम्यूटेड अवकाश |
| 4. दि. 25.06.12 से 28.06.12 | 04 दिन उपार्जित अवकाश |
| 5. दि. 29.06.12 से 13.07.12 | 15 दिन काम्यूटेड अवकाश |
| 6. दि. 14.07.12 से 15.07.12 | 02 दिन उपार्जित अवकाश |
| 7. दि. 16.07.12 से 30.07.12 | 15 दिन काम्यूटेड अवकाश |
| 8. दि. 31.07.12 से 24.08.12 | 25 दिन उपार्जित अवकाश |
| 9. दि. 25.08.12 व 26.08.12 | 02 दिन राजपत्रित अवकाश |

उक्त अवकाशों का इन्द्राज श्री कछवाहा की सेवा-पुस्तिका में कर दिया जावे एवं उक्त अवकाश अवधि का वेतन पुलिस आयुक्त कार्यालय से आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (B-86) अलेसे-I/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक प.2(16)वित्त/राजस्व/2004 दिनांक 10.09.13 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्री भरत लाल कछवाहा, लेखाधिकारी द्वारा पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)